UPEW010015192026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी /एसटी(पी०ए०)एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं.2, इटावा।

पीठासीन अधिकारी संजय कुमार–IV........उच्चतर न्यायिक सेवा ।

JO Code UP 6462

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–449/2026

1.अंकित जौहरी, उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र स्व.संजय जौहरी,
निवासी कटरा साहब खां, थाना कोतवाली, जिला इटावा।
हाल पता टिक्सी मन्दिर के सामने, थाना कोतवाली, जनपद इटावा।
2.शिवा जौहरी, उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र नरेश जौहरी,
निवासी टिक्सी मन्दिर के सामने न्यू ऐरा स्कूल के पास, थाना कोतवाली, जनपद इटावा।
स्थायी पता– भोगांव, जिला मैनपुरी।

----- --आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र०राज्य ।

----- --अभियोजनपक्ष।

अ. सं.–296/2025
धारा–318(4),338, 336(3),340(2) 61(2)
बी.एन.एस ।
थाना–जसवन्तनगर, जिला इटावा।

दिनांक 07.03.2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण अंकित जौहरी एवं शिवा जौहरी की ओर से जमानत पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा सुयोग्य जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.03.07 18:28:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी जितेन्द्र कुमार द्वारा थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा में दिनांक 19.08.2025 को प्राथमिकी इस आशय की पंजीकृत करायी गयी। जिसमें यह उल्लिखित किया गया है जीएसटी अधिनियम 2017 के अन्तर्गत फर्म सर्वश्री भारत बिल्डिंग मेटेरियल पता शाप न. 1 वार्ड न 05 अतुल कुमार छिमारा रोड गुलाबबाड़ी जसवन्तनगर इटावा उप्र पिन कोड 206245 जीएसटीन 09JKLPK8095R1ZO की जांच विशेष अनुशंधान शाखा इटावा राज्य कर, इटावा द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी थी जिसमें जांच का आधार था सर्वश्री भारत बिल्डिंग मैटेरियल द्वारा माह दिसम्बर के जीएसटीआर–3 बी में रू. 38942246–00 की बिक्री दिखाते हुए अपनी कर देयता आईटीसी से सेटऑफ की से सेटऑफ की गई है। जबकि व्यापारी की कोई आईटीसी जीएसटीआर–2 ए में जनरेट नहीं है। व्यापारी की खरीद की जांच करने पर यह तथ्य सजान में आया है कि व्यापारी को सर्वश्री लेम इण्टरप्राइजेज कानपुर जीएसटीएन–09HANPM1232E1ZP द्वारा माह अक्टूबर, नवम्बर दिसम्बर में अपने जीएसटीआर–1 में बिकी दिखाई गई है, तथा अक्टूबर, नवम्बर का जीएसटीआर–3 बी फाइल किया गया है परन्तु दिसम्बर का जीएसटीआर–3 बी दाखिल नहीं किया गया है। व्यापारी द्वारा अपनी समस्त कर देयता आईटीसी से सेट ऑफ की गई है। लेम इण्टरप्राइजेज कानपुर द्वारा की गई कोई भी खरीद पोर्टल पर द्रष्टिगत नहीं है, तथा व्यापारी बिल्डिंग मैटेरियल की वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड भी नहीं है उसके द्वारा साइकिल, स्कूटर, ट्रेवलसेट आदि के लिए रजिस्टर्ड है। फर्म सर्वश्री भारत बिल्डिंग मैटेरियल के जीएसटीआर– 2 ए में प्रदर्शित समस्त खरीद केवल कानपुर स्थित फर्म सर्वश्री लेम इण्टरप्राइजेज से ही किया जाना प्रदर्शित है जबकि लेम इण्टरप्राइजेज के जीएसटीआर–2 ए में उसकी कोई खरीद प्रदर्शित नहीं है। लेम इण्टरप्राइजेज द्वारा भारत बिल्डिंग मैटेरियल को जारी समस्त टैक्स इनवाइस रू 50,000–00 से कम मूल्य की है जिनका ई–वे बिल जनरेट नहीं किया गया है। लेम इण्टरप्राइजेज फर्म कानपुर में पंजीकृत है तथा इनवाइस अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2024 में विभिन्न तिथियों में 01 की अवधि में काफी बडी संख्या में टैक्स इन वाइस जारी की गई है। स्पष्ट होता है कि व्यापारी द्वारा बिना वास्तविक खरीद के बिना वास्तविक रूप से बिक्री करते हुए आईटीसी पास आन की जा रही है। उक्त दोनो फर्मों का पंजीयन क्रमशः माह अगस्त एवं माह सितम्बर 2024 में एक साथ

हुआ है। यह भी प्रकरण को संदिग्ध बनाता है। उक्त के आधार पर सक्षम अधिकारी से सर्च वारन्ट आईएनएस 01 न.ZDO90225042300X दिनांक 05.02.2025 प्राप्त करते हुए फर्म की जांच की गयी जांच पर घोषित व्यापार स्थल बंद पाया गया। पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल न. 6396424499, पर सम्पर्क करने पर मोबाइल नम्बर बंद था। व्यापार स्थल के समीप स्थित दुकान सोनी फोटो स्टूडियो के मालिक श्री अतुल पुत्र श्री शिवराज सिंह से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि वह स्वयं भारत बिल्डिंग मेटेरियल के घोषित पते का भू स्वामी है तथा उनके द्वारा ही सुदीप कुमार को किराये पर दे गये है श्री अतुल कुमार द्वारा श्री सुदीप को फोन कर व्यापार स्थल पर बुलाया गया ततक्रम में श्री सुदीप कुमार द्वारा बताया गया कि वह फर्म भारत बिल्डिंग मेटेरियल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। विभागीय पोर्टल पर घोषित मोबाइल न.6396424499 के सम्बंध में पूछने पर सुदीप द्वारा बताया गया कि यह मोबाइल न. उनके मालिक जीसान का है जो सब्जी मण्डी जसवन्तनगर में बड़ी दुकान के मालिक है और मै (सुदीप कुमार)उनकी दुकान में पल्लेदारी का काम करता है। जी.एस.टी. पोर्टल पर व्यापारी द्वारा कोई अन्य अतिरिक्त व्यापार स्थल घोषित नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया कि फर्म द्वारा फर्जी एवं कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर पंजीयन दिनांक 02.08.2024 को केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में प्राप्त किया गया है जिसके फर्म स्वामी सुदीप कुमार पुत्र श्री जगदीश बाबू, निवासी निलाई जसवन्तनगर, इटावा हैं। सुदीप कुमार द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन प्राप्त करके आईटीसी प्राप्त एवं अग्रेसित कर करापवंचन का कृत्य किया है जिससे राजस्व की क्षति हुयी है जो जी.एस.टी. अधिनियम की धारा के अन्तर्गत आपराधिक कृत्य है तथा उक्त के सम्बन्ध में फर्म स्वामी श्री सुदीप कुमार पुत्र श्री जगदीश बाबू, निवासी निलाई, जसवन्तनगर, इटावा के विरुद्ध फर्जी एवं कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर पंजीयन प्राप्त किये जाने तथा जी.एस.टी में 201.30 लाख के करापवंचन किये जाने के अनुक्रम में मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करना अंकित किया गया है।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वे निर्दोष है। उन्होंने उक्त वाद में वर्णित कोई कारित नहीं की है। आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं हैं थाना पुलिस ने प्रकाश में लाकर उक्त वाद उनको संलिप्त किया है। आवेदक/अभियुक्त अंकित जौहरी सी.ए. के एग्जाम

की तैयारी कर रहा है अंतिम एग्जाम बाकी है तथा प्रेक्टिस हेतु एकाउन्टिंग का कार्य करता है। आवेदकगण की कोई दूषित मंशा या नामित अभियुक्तों से लाभ या कोई निर्णय लेने की शक्ति नही है क्योंकि जी०एस०टी० रिटर्न हेतु सी०ए० या एडवोकेट होना अनिवार्य नही है कोई भी व्यक्ति जी०एस०टी० के पोर्टल पर जाकर रिटर्न फाइल कर सकता है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अक्सर फर्म स्वामी स्वयं या कभी अभियुक्तगण से या कभी किसी अन्य से रिटर्न फाइल कराते थे तथा कार्यालय में एक रूटीन कार्य की तरह कार्य करते थे जिसके प्रपत्र स्वयं फर्म स्वामियों द्वारा दिये जाते थे। फर्म स्वामियों के दिये हुये प्रपत्रों को उनके द्वारा सिर्फ जी०एस०टी० पोर्टल पर अपलोड किया जाता था और अपनी इस सेवा के बदले प्रति रिटर्न फीस प्राप्त होती थी। उन पर लगाये गये इल्जाम बेबुनियाद है। उक्त वाद में वर्णित घटना से प्रार्थीगण का कोई वास्ता सरोकार नही है। यह भी कहा है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को अ0सं0–192/25 थाना कोतवाली व 191/25 थाना कोतवाली ने दिनांक 02.02.2026 को गिरफ्तार किया बताया है व उक्त वादों में न्यायिक हिरासत के दौरान अ0सं0–296/25 थाना जसवन्तनगर में संलिप्त किया गया व न्यायिक अभिरक्षा में जेल कारागार इटावा में निरूद्ध है तथा उनको जब अ0सं0–192/25 थाना कोतवाली व 191/25 थान कोतवाली की पुलिस से गिरफ्तारी की आशंका हुई कि उक्त वाद में थाना पुलिस झूठा संलिप्त करना चाह रही है जिस पर उनके माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उपस्थित होकर क्रिमिनल रिट याचिका संख्या–सी०आर०एल०पी०–2669/2026 व सी०आर०एल०पी०–2726 योजित की। दिनांक 01/02.02.2026 की रात को थाना पुलिस ने होटल प्रयागराज से उठाया और अपनी गिरफ्त में लिया और प्रार्थी के वाहन की नम्बर प्लेट हटाते हुये इटावा लाये व नम्बर प्लेट हटाते हुये व अन्य प्रपत्रों को न देखते हुये प्रार्थी के वाहन के रजिस्ट्रेशन संख्या–UP75AX–4114 को 207 एम०वी० एक्ट में सीज किया व अ०स०–191, 192 में थाना कोतवाली में भी संलिप्त कर दिया परन्तु थाना पुलिस ने यह देखना अनिवार्य नही समझा कि जब नम्बर प्लेट नही है तो चालान भी नम्बर प्लेट पर कटेगा, सीज करते समय बिना नम्बर प्लेट की फोटो जरूर खींची परन्तु नम्बर प्लेट पर चालान करना कैसे याद नही रहा जो प्रार्थीगणों की गिरफ्तारी में संदेह उत्पन्न करती है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का लैपटाप थाना कोतवाली पुलिस घर से ले गयी थी तथा स्वयं से थाना पुलिस ने एबी ट्रेडर्स के प्रपत्र रखकर आवेदक

को झूंठा संलिप्त किया है। दिनांक 5.02.2025 को जॉच विशेष अनुसंधान शाखा इटावा व राज्य कर इटावा द्वारा अपनी जाँच में स्पष्ट किया कि सुदीप कुमार द्वारा ही सारे कृत्य किये गये है व दोषी माना। जी०एस०टी०कर्मचारी, सक्षम कर्मचारी उनकी जॉच में प्रार्थीगणों पर कोई दोषारोपण नही किया गया क्योंकि वह भलीभाँति जानते है कि ऐसी स्थिति में जब कोई जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन करता है या रिटर्न फाइल करता है तो उनका कोई दोष नहीं हो सकता चूंकि वेरीफिकेशन ओ.टी.पी. के माध्यम से अन्य माध्यम से होता है। यह भी कहा है कि आवेदकगण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण को दिनांक 03.02.2026 से कारागार में निरुद्ध होना कहते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुदीप कुमार, निवासी निलाई थाना जसवन्तनगर, इटावा के आधार कार्ड, पैनकार्ड लेकर सर्वश्री भारत बिल्डिंग मैटेरियल फर्म बनायी एवं लेम इण्टर प्राइजेज कानपुर की फर्म जो कि वास्तविक रूप में नही है अंकित जौहरी के ब्रांडबैंड से बनी है इन्होंने मिलकर लेम इण्टर प्राइजेज कानपुर से भारत बिल्डिग मटेरियल को सिमेन्ट की खरीद दिखायी है जब कि वास्तविक रूप मे सिमेन्ट कभी भी भारत बिल्डिंग मटेरियल फर्म पर नही आया दोनो फर्मों को अंकित जौहरी, शिवा जौहरी एवं इनके अन्य साथियों द्वारा बनाया गया और फर्जी तरीके से आईडीसी प्राप्त कर दो करोड़ एक लाख तीस हजार रुपये का करापवंचन इनके द्वारा किया गया। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास (मु0 अ 0 सं0 191/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/3(5) वीएनएस 02- मु0 अ 0 सं 192/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/3 (5) वी.एन.एस. थाना कोतवाली जनपट इटावा)है। सह अभियुक्तगण मो.जीशान एवं मो.आसिफ की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जा चुके हैं। प्रस्तुत मामला राजस्व की हानि का स्पष्ट होता है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

6. अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता को दृष्टिगत रखते

आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण अंकित जौहरी एवं शिवा जौहरी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दि.07.03.2026 **(संजय कुमार-IV)**

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एसटी(पी०ए०)एक्ट/

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, इटावा।

JO Code UP 6462